



160

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2254/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 03/06/17

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR,
KAMLA NEHRU MAHAVIDYALAYA, KAMLA NEHRU PUBLIC
HIGHER SECONDARY SCHOOL,
KAMLA NAGAR, KOTRA SULTANABAD BHOPAL 462003
MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरन्तरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 141499 दिनांक: 31.5.2015

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची
क्रमांक:- 93---

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 --- 100 --- छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचयन क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिचयन क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,



पृ० क्रमांक 2254/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाई।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

सहा.-कुलसचिव, अकादमी



230

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कमांक 2259/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/06/17

PRINCIPAL / DIRECTOR,
KOPAL COLLEGE FOR EXCELLENCE, KOPEL
SHIKSHA VIKAS SAMITI BARKHEDI KALAN,
NEELBADH ROAD, BHOPAL 462021 MADHYA
PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरन्तरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 14/1454 दिनांक: 31-5-2015

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची
कमांक: 117.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 --- 100 --- छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचय क्र. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिचय क्र. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. दिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा कराए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

पृ० कमांक 2259/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिलिपि:-

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/17

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा.-कुलसचिव अकादमी



239

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2260/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/06/17

PRINCIPAL / DIRECTOR,
MALHOTRA COLLEGE,
PLOT NO. 232/2, VILL.- BADWAI, P.O.- KAROND M.L.
NAGAR, TEH.- HUZUR, DIST.- BHOPAL- 462038,
MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरन्तरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 141490 दिनांक: 31-5-2017
(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची
क्रमांक: 80.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 --- 100 छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शारी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

2261

पृ० क्रमांक

प्रतिलिपि:-



अकादमी/संबद्धता/2017

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/17

सहा-कुलसचिव, अकादमी



241

संबद्धता की निरंतरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2262/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/06/17

PRINCIPAL / DIRECTOR,
RAVISHANKAR TEACHER TRAINING INSTITUTE,
BYPASS ROAD, BHANPURA, NEAR PEOPLES DENTAL
COLLEGE & RESEARCH CENTRE, BHOPAL MADHYA
PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 143552 दिनांक: 31-5-2017

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची
क्रमांक: 100

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 --- 100 --- छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिणियम क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिणियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/17

2263
पृ० क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

उप-कुलसचिव अकादमी



301

संबद्धता की निरंतरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2264/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 03/06/17

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR,
IES COLLEGE OF EDUCATION,
KHASRA NO.514/1, 322 AND 323, PATWARI HALKA NO.33,
VILLAGE KALKHEDA, VIKASHAND-FANDA, RATIBAD MAIN
ROAD, TEHSIL- HUZUR, BHOPAL-462044, MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 11/14/02 दिनांक: 31.5.2015

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची

क्रमांक: 217.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 100 छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर वह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/17

पृ0क्रमांक 2265/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा.-कुलसचिव, अकादमी



304

संबद्धता की निरंतरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कमांक 2266/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 03/06/17

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR,
BHABHA COLLEGE OF EDUCATION,
NH-12, VILLAGE- JATKHEDI, HOSHANGABAD ROAD,
BHOPAL MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 149/73 दिनांक: 31-5-2015
(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची
कमांक: 181

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 180 छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश कमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,



पृ०कमांक 2267/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/17

सहा.-कुलसचिव, अकादमी



311

संबद्धता की निरंतरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2268/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 03/06/17

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR,
ANAND INSTITUTE OF MANAGEMENT,
GRAM BARKHEDA NATHU NEAR NEELBAD,
BHOPAL MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 143496 दिनांक: 31/5/15

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची
क्रमांक: 124

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 100 छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिणियम क्रं.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिणियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा कराए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/17

पृ0क्रमांक 2268/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाई।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा.-कुलसचिव, अकादमी



312

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2271/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 03/06/18

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR,
AKHIL BHARTIYA SHIKSHA AVAM PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAYA,
PLOT/KHASARA NO. 413, 414/1/1, 414/2, 414/1/2/2, 412, PLOT NO : 127, STREET
NO.: KHARPA VILLAGE : KHARPA, POST OFFICE : RATIWAR TEHSIL/TALUKA :
HUJUR, TOWN/CITY/DISTRICT : BHOPAL-462044 MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरन्तरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 148673 दिनांक: 21/5/15

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची
क्रमांक: 144

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरांत आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 50 छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

2272

पृ०क्रमांक

प्रतिलिपि:-



अकादमी/संबद्धता/2017

सह-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/18

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा.-कुलसचिव, अकादमी



313

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2272/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/06/17

PRINCIPAL / DIRECTOR,
THE CITY COLLEGE,
PLOT NO. 66/1/3, 67/1/3, VILLAGE- KHAM KHEDA BAIRASIA
ROAD, P.O. - KHAM KHEDA, TEHSIL - HUZUR, DIST. -
BHOPAL-462003, MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरन्तरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 136634 दिनांक: 25/5/15
(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची
क्रमांक: 450.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 100 छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचयन क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिचयन क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/17

पृ० क्रमांक 2273/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

1. सहा.-कुलसचिव, अकादमी



329

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2275/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 03/06/17

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR,
SANT HIRDARAM GIRLS COLLEGE, LAKE ROAD,
SANT HIRDARAM NAGAR,
BHOPAL 462030 MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरन्तरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 132977 दिनांक: 28-5-2015

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची

क्रमांक: 159

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 --- 50 --- छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/17

पृ0क्रमांक 1

2275/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा.-कुलसचिव, अकादमी